प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज **दिनांक 14-11-2023** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार, थाना कांठः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13-11-2023 को उ0नि0 श्री सुमित कुमार थाना कांठ द्वारा मय हमराह पुलिस बल आरोपी **राहुल पुत्र स्व0 साहब सिंह निवासी ग्राम जमनिया खुर्द थाना काँठ जनपद मुरादाबाद** को 01 अवैध तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना कांठ पर मु0अ0स0-374/2023 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2- गांजा व चोरी के सामान के साथ 02 आरोपी गिरफ्तार, थाना कांठः-

अवगत कराना है कि दिनांक 13-11-2023 को वादी निवासी कांठ क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपीगण द्वारा श्री शिव मोहिनी मन्दिर (प्राचीन) मौहल्ला घोसीपुरा थाना कांठ जनपद मुरादाबाद से चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कांठ पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कांठ पर मु0अ0स0-373/23 धारा 380 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम आज दिनांक 14-11-2023 को उ0नि0 यशवीर सिहं थाना कांठ द्वारा मय पुलिस बल आरोपीगण **1- परवेज पुत्र रहीश निवासी मौ0 पट्टीवाला कस्बा व थाना कांठ जिला मुरादाबाद व 2. अबरार उर्फ मडैया पुत्र अफसर निवासी मौ0 मान नगर पट्टीवाला कस्बा व थाना कांठ जिला मुरादाबाद** को 600-600 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया एंव उक्त अभियोग से सम्बन्धित चोरी के कुल 1,030/- रूपये व एक

दान पात्र बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 411 भा0द0वि0 की वृद्धि की गयी तथा बरामद गांजा के सम्बन्ध में आरोपीगण के विरुद्ध मु0अ0स0-375/2023 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1-आरोपी परवेज उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 138/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना काँठ,
2. मु0अ0सं0 208/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना काँठ,
3. मु0अ0सं0 250/2021 धारा 380, 411 भादवि थाना काँठ,
4. मु0अ0सं0 286/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना काँठ,
5. मु0अ0सं0 303/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना काँठ,
6. मु0अ0सं0 373/2023 धारा 380 भादवि थाना काँठ,
7. मु0अ0सं0 413/22 धारा 380, 411 भादवि थाना काँठ,
8. मु0अ0सं0 425/22 धारा 379, 411 भादवि,
9. मु0अ0स0 373/23 धारा 380, 411 भादवि
10. मु0अ0स0 375/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना काँठ मुरादाबाद

2-आरोपी अबरार उर्फ मडैया उपरोक्त

1-मु0अ0सं0 93/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना काँठ, जनपद मुरादाबाद।
2. मु0अ0सं0 226/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना काँठ, जनपद मुरादाबाद।
3. मु0अ0सं0 449/2016 धारा 13 जुआ अधिनियम, थाना काँठ, जनपद मुरादाबाद।
4. मु0अ0स0 373/23 धारा 380, 411 भादवि थाना काँठ, जनपद मुरादाबाद।
5. मु0अ0स0 375/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना काँठ, जनपद मुरादाबाद।

3-आत्महत्या करने को प्रेरित करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना मूढ़ापाण्डेः-

अवगत कराना है कि दिनांक 30-12-2022 को वादिनी निवासनी थाना मूढ़ापाण्ड़े क्षेत्रान्तर्गत ने अभियक्तगण द्वारा वादिनी के पुत्र को इतना परेशान व प्रताडित करना जिससे वादिनी के पुत्र द्वारा जहरीला पदार्थ खा लेना जिसकी कासमास अस्पताल मे इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बंध में थाना मूढ़ापाण्डे पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 403/2022 धारा 306 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 14-11-2023 को व0उ0नि0 श्री सतराज सिंह थाना मूढ़ापाण्ड़े द्वारा मय पुलिस बल के आरोपी इमरान पुत्र मकसूद निवासी ग्राम बरवाला खास थाना मूंढापाण्डें

जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

4- पशु क्रूरता के 03 आरोपी पशु वध करने के उपकरण के साथ गिरफ्तार, थाना भोजपुरः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14-11-2023 को उ0नि0 राजनाथ सिंह थाना भोजपुर द्वारा मय पुलिस बल 1.आरिफ पुत्र महबूब आलम 2. वसी पुत्र महबूब आलम 3. जीशान पुत्र महबूब आलम निवासीगण मौहल्ला गुलाबबाडी थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को 01 कुन्तल भैसवंशीय का मांस व पशु वध करने के उपकरण 01 कुल्हाडी व 01 छुरी सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में आरोपीगण के विरुद्ध मु0अ0सं0-397/2023 धारा- 429 भा0द0वि0 व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना भोजपुर पर पंजीकृत किया गया।